

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्रीमती भावना सिंह (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 61 / 2017

दायर दिनांक 20.12.2017

शंकरलाल	उनवान	हीरीबाई
	बनाम	

वाद अन्तर्गत धारा 53 188 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक: 16.03.2022

—:निर्णय:—

पत्रावली पेश हुई वकिल वादी हाजिर , वकील वादी द्वारा पत्रावली में कोई कार्यवाही नहीं चाहने से वकील वादी ने नोट प्रेस हेतु निवेदन किया जिससे पत्रावली नोट प्रेस में खारिज कि जाती है अत -पतरावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम है



(भावना सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
भूपालसागर

